

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क्रमांक :-37()परावि/प्रशा2./कलिभर्ती/मार्गदर्शन टोक 11/17/

जयपुर दिनांक
2131 30/5/17

:: संशोधन- आदेश ::


विभागीय समसंख्यक पत्रांक 2072 दिनांक 26.5.17 के अन्तिम पैरा में त्रुटी सुधार के संबंध में " ऑनलाईन मोड पर ही प्रकरण का निस्तारण करेगे व आदेशानुसार त्रुटि सुधार सुनिश्चित करेगे " के स्थान पर " आफनलाईन मोड पर ही प्रकरण का निस्तारण करेगे व आदेशानुसार त्रुटि सुधार सुनिश्चित करेगे " पढा जावे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक मा. मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक मा. राज्यमंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर ।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर
4. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमंद को पालनार्थ ।
5. उप शासन सचिव विधि मुख्यालय ।
6. रक्षित पत्रावली ।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव